

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02वि0 1- 64/2012 (पार्ट) 2216

पटना 15, दिनांक 09.05.18

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय-समय पर यथा संशोधन के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 30,000/- रुपया (तीस हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतये होगा :-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पुरुष/महिला सदस्य
01	02	03	04
01	डॉ० श्रीमती पूनम शर्मा पति- डॉ० अरविन्द कुमार, पता-मेनरोड, ऑर्थोपैडिक सेन्टर, जिला- नवादा।	नवादा	महिला सदस्य
02	श्री सत्यनारायण यादव पिता- श्री भोलन यादव, पता- ग्राम+पो०-कमरैल, थाना- मरौना, जिला- सुपौल- 852133।	सुपौल	पुरुष सदस्य
03	डॉ० श्रीमती संयुक्ता जयसवाल, पिता- श्री दुर्गा प्रसाद सिन्हा, पता- सुदामा निवास, वार्ड नं०- 8, सुपौल	सुपौल	महिला सदस्य
04	श्रीमती नीलम देवी, पति- श्री श्यामाकान्त पाण्डेय, पता- ग्राम- महमदा, पो०- भथाना, थाना-पीपराकोठी, जिला- पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण	महिला सदस्य
05	श्री प्रिय रंजन प्रसाद, पिता- स्व० भृगुनाथ प्रसाद पता- श्री मनी भुषण प्रसाद श्रीवास्तव, फ्लैट नं० - 141, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना	मधेपुरा	पुरुष सदस्य
06	श्री अरविन्द कुमार सिंह, पिता- श्री रामाशिष सिंह पता- ए०एन० कॉलेज, प्रोफेसर कॉलोनी, शिवपुरी, पुनाईचक, पटना-800023	जहानाबाद	पुरुष सदस्य
07	श्रीमती बिभा कुमारी सिन्हा, पति- श्री राकेश कुमार, पता-लवकुश बिहार, महेश्वर नगर, केशरी नगर, थाना- पाटलीपुत्रा, जिला- पटना	जहानाबाद	महिला सदस्य

Basma

08	श्रीमती सीमा सिंह, पति- राधेश्याम सिंह, पता- ग्राम- ईटारही (सरसटि डेरा), पो0+थाना- ईटारही, जिला- बक्सर स्थायी- द्वारा- श्री दिलमोहन सिंह, बाजार समिति रोड, महात्मा गांधी नगर, वार्ड नं0-09, बक्सर।	बक्सर	महिला सदस्य
----	--	-------	-------------

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित सदस्य अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेंगे। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- प्र02 वि01- 64/2012(पार्ट) 2216

खाद्य, पटना, दिनांक 09.05.18

प्रतिलिपि- ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0- यथोक्त।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक- प्र02 वि01- 64/2012(पार्ट) 9216

खाद्य, पटना, दिनांक 09.05.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लॉक, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित सभी सदस्य/सदस्या/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा-02 एवं प्रशाखा- 05 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित सदस्यों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के सचिव

Sub :- Notification of post of Members (Male/Female) in District Consumer Fora.